न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, डीडवाना–कुचामन

पीठासीन अधिकारी–श्री पुखराज सेन, आई.ए.एस.

प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या– 29/2024
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर 2024/80

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
रिलायंस असेट री–कन्स्ट्रेक्शन कम्पनी लिमिटेड, पता– 11 तल, नोर्थ साइड, पार्क वेर्स्टन एक्सप्रेस हाइवे, गोरेगांव (ईस्ट) मुम्बई–400063।		कुनणी देवी पत्नी छोटुराम, निवासी तेजमल की ढ़ाणी, कालवा बड़ा, कालवानन, मकराना–341502। 1. अमर सिंह पुत्र छोटुराम, निवासी तेजमल की ढ़ाणी, कालवा बड़ा, कालवानन, मकराना– 341502। 2. ओनकार सिंह पुत्र छोटुराम, निवासी तेजमल की ढ़ाणी, कालवा बड़ा, कालवानन, मकराना– 341502। 3. रामेवा राम पुत्र पूर्णा राम निवासी वार्ड नं. 1 ग्राम धन्नवाना नागौर–341319।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय अस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूमि हित प्रवर्तन अधिनियम 2002

उपस्थित :–

1. श्री योगेश शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।

आदेश

दिनांकः 10.03.2025

प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत पेश हुआ। जो दर्ज रजिस्टर हो।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों में यह कथन किया है कि प्रार्थी बैक ने अप्रार्थी/ऋणी को रूपये 530000/–(अक्षरे पांच लाख तीस हजार मात्र) दिनांक 30.09.2021 को ऋण उपलब्ध करवाया गया। अप्रार्थीगण/ऋणी द्वारा उक्त प्राप्त ऋण की सुविधा के एवज में **सम्पति– आवासीय सम्पति– पट्टा नं. 60 वार्ड नं. 09, ग्राम तेजमल की ढ़ाणी कालवा बड़ा मकराना** डीडवाना–कुचामन राजस्थाना में स्थित है जिसका क्षैत्रफल 355.55 वर्ग गज है तथा आस पडौस निम्न है– उत्तर में :– पब्लिक रास्ता, लाडूराम का राम एवं भंवर दान का मकान, दक्षिण में :– **पंचायत एवं आबादी की भूमि,** पूर्व में:– कालवा से बिचवा का रास्ता एवं भंवरदान की भूमि, **पश्चिम में:– आबादी की भूमि,** जो प्रार्थी बैक के पास ऋण अदायगी हेतु ऋणी एंव जमानतदार ने आवश्यक दस्तावेज निष्पादित किये ।

अप्रार्थीगण/ऋणी ने उप[illegible]सार भुगतान नही चुकाया। जिसकी वजह से उक्त खाते को दिनांक 04.01.2[illegible] को [illegible].पी.ए. घोषित कर दिया गया व अप्रार्थी/ऋणी के ऋण खाते में [illegible] हजार पांच सौ बारह रूपये मात्र) दिनांक 04.05.2023 तक शेष देय व दिनांक [illegible].05.2023 से आगे का [illegible] खर्चे सहित राशि का भुगतान बकाया निकलते हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pukhraj Sen
Date: 2025.03.12 13:52:06 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर डीडवाना–कुचामन

उक्त ऋण खाते में ऋणी द्वारा नियमानुसार भुगतान नहीं करने पर एन.पी.ए. घोषित होने के बाद एक्ट की धारा 13 (2) के अन्तर्गत प्रार्थी बैक ने ऋणी/अप्रार्थी को दिनांक 09.08.2023 को रजिस्टर्ड नोटिस दिये गये परन्तु नोटिस प्राप्ति के पश्चात भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि जमा नहीं करवायी गई व न बंधक शुदा सम्पति सम्पूर्ण कब्जा प्रार्थी बैक को दिया गया। ऋणी को उपरोक्त नोटिस के अनुसार 60 दिन के अन्दर–अन्दर ऋण राशि रूपये 667512/–(अक्षरे छः लाख सडसठ हजार पांच सौ बारह रूपये मात्र) दिनांक 04.05.2023 तक शेष देय व दिनांक 04.05.2023 से आगे का ब्याज व खर्चे सहित राशि का भुगतान को जमा कराना था, परन्तु ऋणी/अप्रार्थीगण ने उपरोक्त नोटिस के अनुसार ऋण राशि जमा नहीं करवाई, के कारण एक्ट की धारा 13 (4) के अन्तर्गत कार्यवाही करना आवश्यक हो गया हैं।

एक्ट की धारा 14 (1) के अन्तर्गत प्रार्थी बैक को बंधक सम्पति का ऋणी एवं जमानतियों से कब्जा लेने में सहायता आवश्यकता है, के कारण प्रार्थी बैक ने जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष बैक सिक्योरिटीज एवं सिक्योरिटीज से संबंधित डोक्यूमेन्ट का ऋणी/जमानती से कब्जा लेकर प्रार्थी बैक को कब्जा दिलवाने के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया। प्रार्थी बैंक ने उक्त पत्रावली में लोन स्टेटमेन्ट के संबंध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किये है। रिलायंस असेट री–कन्स्ट्रेक्शन क0लि0 बैंक द्वारा ऋणी अप्रार्थीगण के विरूद्ध 667512/– रूपये की राशि बकाया बताये गये। पत्रावली में उपलब्ध रेकर्ड अनुसार ऐसा कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है जो यह सिद्ध कर सके कि अप्रार्थी द्वारा कितनी राशि का ऋण लिया गया। अप्रार्थी ने ब्याज सहित कितनी राशि जमा करवा दी एवं अप्रार्थी किस दिनांक को डिफाल्टर घोषित किया गया।

प्रार्थी बैंक की ओर से श्री तरूण मौर्य द्वारा जो शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। श्री तरूण मौर्य के शपथ पत्र में विवरण अपूर्ण है तथा ऋण लक्ष्मी इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड द्वारा दिया गया है। उक्त मूल ऋणदाता बैंक की तरफ से किसी प्रकार का शपथ पत्र /तथ्य पेश नहीं किये गये है। प्रार्थी बैंक की तरफ से न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 23.07.2024 को दिये गये निर्देशों की पालना भी नहीं की गई है।

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अपूर्ण होने के कारण खारिज किया जाता है। प्रार्थी बैंक उपरोक्त कमियों की पूर्ति करते हुए नया प्रार्थना पत्र पेश कर सकते है।

निर्णय आज दिनांक 10.03.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pukhraj Sen
Date: 2025.03.12 13:52:06 IST
Reason: SelfAttested

(पुखराज सेन, IAS)
जिला कलक्टर एंव जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन